an>

Title: Need to provide One-time settlement relief to the refugees from Pakistan living in Jammu and Kashmir.

श्री जुगल किशोर (जम्मू) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं, जो 67 वर्षों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्हें आज भी स्थायी नागरिकता नहीं मिली है। वर्ष 1947 में पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए ऐसे रिफ्यूजीज हैं। आज उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए उनको कोई सुविधा नहीं मिल पाती है और वे विधानसभा एवं पंचायत में भी वे अपना वोट नहीं डाल पाते हैं। इसके साथ ही पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के एरिया से वर्ष 1947 में आए हुए करीब 12 लाख ऐसे रिफ्यूजीज हैं, जो आज भी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और आज तक उनको वहां पर जो जमीन दी गयी है, उसका मालिकाना हक नहीं मिला है। मेरी प्रार्थना यह है कि जब वे लोग अपना घर-बार छोड़कर पाकिस्तान से यहां आए थे, पाकिस्तान ने जब हमारी जमीन ले ली थी और सीसफायर हो गया था, तब जम्मू-कश्मीर की सरकार ने उनसे यह वायदा किया था कि जो आप छोड़कर आए हैं, हम यहां पर आपको देंगे, लेकिन आज तक उनको कुछ भी नहीं दिया गया।

महोदया, मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि उनको वहां पर जमीन का मालिकाना हक मिलना चाहिए और रिफ्यूजी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए ताकि उनको अधिकार मिल सकें और वे अपने अधिकारों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वह समाप्त हो सके।